

Integrated Goods & Services Tax Act, 2017

Section 19 : Tax wrongfully collected and paid to Central Government or State Government

- (1) A registered person who has paid integrated tax on a supply considered by him to be an inter-State supply, but which is subsequently held to be an intra-State supply, shall be granted refund of the amount of integrated tax so paid in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.
 - (2) A registered person who has paid central tax and State tax or Union territory tax, as the case may be, on a transaction considered by him to be an intra-State supply, but which is subsequently held to be an inter-State supply, shall not be required to pay any interest on the amount of integrated tax payable.
-

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 19 : सदोष संगृहीत और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदत्त कर

- (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा कोई अंतरराज्यिक पूर्ति होना समझी गई पूर्ति पर एकीकृत कर संदत्त कर दिया है, किन्तु जिसे तत्पश्चात् राज्य के भीतर ही पूर्ति अभिनिर्धारित किया गया है, तो उसे ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधधीन, जो विहित की जाएं, इस प्रकार संदत्त एकीकृत कर की रकम का प्रतिदाय मंजूर किया जाएगा।
 - (2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा कोई राज्य के भीतर पूर्ति होने समझे गए किसी संव्यवहार पर, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर संदत्त कर दिया है किन्तु तत्पश्चात् उसे अंतरराज्यिक पूर्ति अभिनिर्धारित कर दिया गया है तो उससे संदेय एकीकृत रकम पर किसी ब्याज के संदाय की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
-